अध्याय–I
परिचय

1.1 भारत में बैंकिंग प्रणाली

1.1.1 बैंक, वित्तीय प्रणाली के भीतर ग्राहकों को ऋण प्रदान करने, जमायें स्वीकार करने और अन्य सेवायें प्रदान करने का काम करते हैं। एक मजबूत और लचीली बैंकिंग प्रणाली स्थायी आर्थिक विकास की नींव है जिसमें बैंक क्रेडिट मध्यस्थता प्रक्रिया का केन्द्र होते हैं। बैंक, उपभोक्ताओं, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों, बड़े कॉर्पोरेट फर्मों और सरकारों को महत्वपूर्ण सेवायें प्रदान करते हैं जो उन पर घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर अपने दैनिक कारोबार का संचालन करने के लिए आश्रित होते हैं। अर्थव्यवस्था के लिए उनकी अति आवश्यकता के कारण बैंकों को अक्सर बड़े पैमाने पर विनियमित किया जाता है, जहाँ नियमों को सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए निर्मित किया जाता है।

1.1.2 भारत में बैंकिंग प्रणाली में वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक सम्मिलित हैं जिनमें अधिकांश बैंकिंग आस्तियों के लिए वाणिज्यिक बैंक जिम्मेदार हैं। वाणिज्यिक बैंकों में 21 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 26 निजी क्षेत्र के बैंक, 43 विदेशी बैंक और 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं। सहकारी ऋण संस्थानों के अलावा 1,574 शहरी सहकारी बैंक और 93,913 ग्रामीण सहकारी बैंक हैं। वाणिज्यिक बैंकिंग ढांचे में मुख्य रूप से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एस सी बी) शामिल हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं। एस सी बी में मुख्य रूप से निम्न शामिल हैं:

- स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एवं इसके सहयोगियों[1] और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पी एस बी)
- निजी क्षेत्र के बैंक
- विदेशी बैंक
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1.2 भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का महत्व

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वे बैंक हैं जिनमें बहुमत हिस्सेदारी सरकार की होती है। पी एस बी भारतीय बैंकिंग प्रणाली का एक सबसे बड़ा घटक है, जो एस सी बी द्वारा दिये गये अग्रिमों एवं जमाओं के 70 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में पी एस बी ने लगातार, आस्तियों का बड़ा हिस्सा प्राप्त किया है जैसा कि तालिका 1.1 से देखा जा सकता है।

[1] **एस बी आई के पाँच सहयोगी थे–स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, इनका विलय इसमें 1 अप्रैल 2017 से कर दिया गया।**

तालिका 1.1. भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के व्यापार के शेयरों में रूझान

(प्रतिशत में)

वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
एस सी बी के कुल अग्रिम में पी एस बी का हिस्सा	76.4	76.1	75.7	74.1	70.8
एस सी बी की कुल आस्तियों में पी एस बी का हिस्सा	72.6	72.6	72.6	72.1	69.9
एस सी बी की कुल जमा राशि में पी एस बी का हिस्सा	77.5	77.3	77.2	76.3	74.2

(स्रोतः भारत में बैंकों से संबंधित आर बी आई सांख्यिकी सारणी)

इसके अलावा, पी एस बी अपने जनादेश के तहत कृषि क्षेत्र, मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योग क्षेत्र (एम एस एम ई क्षेत्र), कमजोर वर्गों, स्वयं सहायता समूहों, सरकार प्रायोजित कार्यक्रमों सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्र को शामिल करते हुये अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऋण का विस्तार करते हैं। इस प्रकार पी एस बी, न केवल उनके द्वारा विस्तारित ऋण की मात्रा में बल्कि उन 'क्षेत्रों जिनके पास ऋण अभाव हैं', को शामिल करते हुये अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को ऋण विस्तारित करने में महत्वपूर्ण हैं।

1.3 पी एस बी में शेयरधारिता का स्वरूप

1.3.1 बैंकिंग कम्पनी (उपक्रम का अधिग्रहण एवं हस्तान्तरणं) अधिनियम 1970/1980 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 में सांविधिक आवश्यकता है कि भारत सरकार, सभी पी एस बी में किसी भी समय प्रत्येक पी एस बी के वोटिंग इक्विटी शेयर सहित 51 प्रतिशत से कम चुकता पूँजी नहीं रखेगी। पी एस बी को, अपने सार्वजनिक स्वरूप से समझौता किए बिना किसी भी भविष्य की तारीख में बाजार से पूँजी जुटाने में सक्षम बनाने व शीर्षान्तर प्रदान करने के लिए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति (सी सी ई ए) ने सभी पी एस बी में भारत सरकार की अधिसम्पत्ति को 58 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय लिया (दिसम्बर 2010)। इसके बाद, सी सी ई ए ने पी एस बी को, उनकी पूँजी आवश्कताओं, शेयर प्रदर्शन, तरलता, बाजार मांग और अन्य परिस्थितियां जो पूँजी और स्रोतों के प्रभावशाली उपयोग को निर्धारित करती हों, के अनुसार सरकारी अधिसम्पत्ति को चरणबद्ध तरीके से 52 प्रतिशत तक कम कर अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफ पी ओ) या अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यू आई पी) द्वारा मामले के आधार पर, प्रत्येक पी एस बी के लिए वित्तमंत्री के विशिष्ट अनुमोदन के साथ, बाजार से पूँजी प्राप्त करने की अनुमति देने का निर्णय लिया (दिसम्बर 2014)।

1.3.2 हालाँकि, पी एस बी में भारत सरकार की शेयरधारिता लगातार इन सीमाओं (52 या 58 प्रतिशत) से काफी अधिक रही है। इसके अतिरिक्त, जीवन बीमा निगम (एल आई सी) का विभिन्न पी एस बी में महत्वपूर्ण शेयर है। 2010–11 से 2016–17 के दौरान 21 पी एस बी में शेयरधारिता

का स्वरूप **अनुलग्नक–I** में है। 31 मार्च 2017 को पी एस बी का शेयरधारिता स्वरूप निम्न चार्ट में दिखाया गया है:

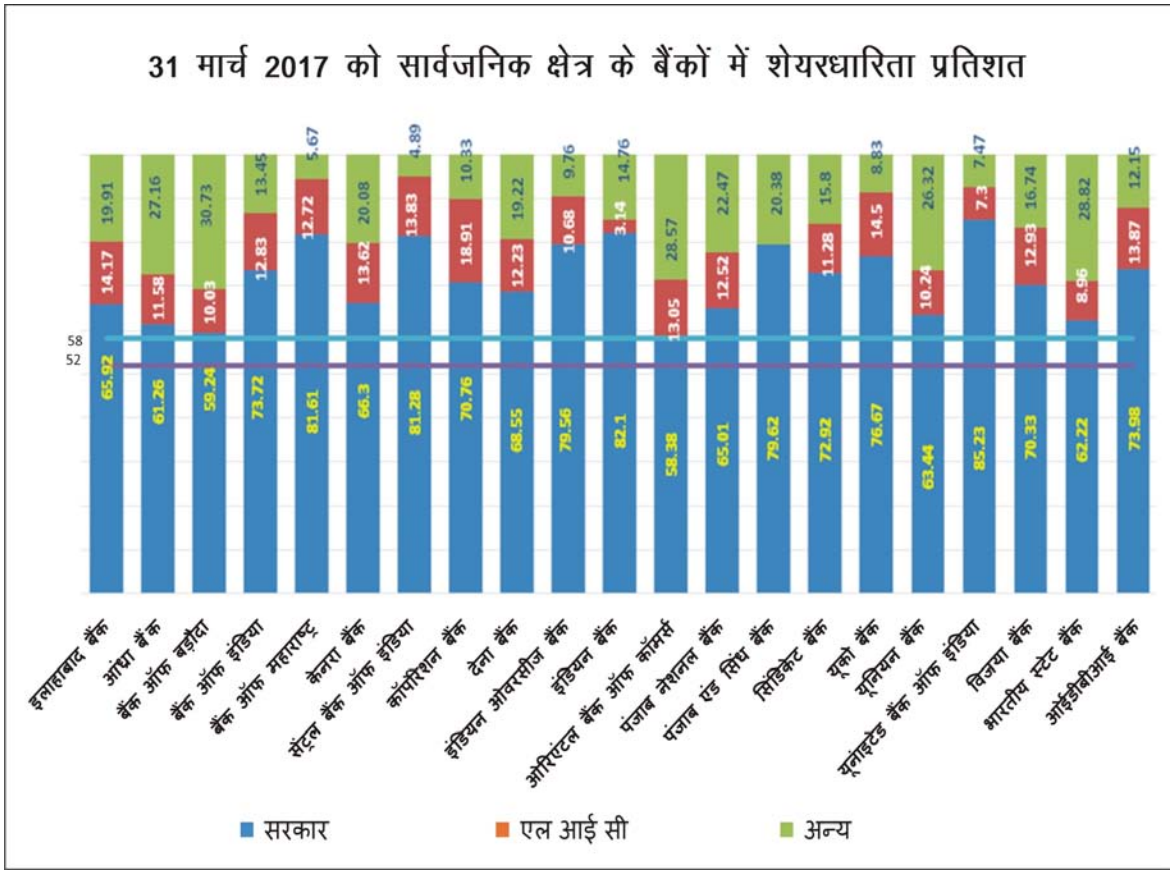

(स्रोतः बी एस ई और एन एस ई की वेबसाइटें)

1.4 पी एस बी की पूँजी संरचना और अतिरिक्त पूँजी की आवश्यकता

1.4.1 पी एस बी की पूँजी संरचना में विभिन्न प्रकार की देनदारियां शामिल हैं जो कि बैलेंस शीट की आस्तियों के पक्ष में बैंक के उधार और निवेश गतिविधि को निधि देने के लिए होती है:

- **शेयरधारकों के फंड** में पी एस बी की इक्विटी पूँजी (सामान्य इक्विटी और अधिमान शेयर दोनों), संचित निधि और अधिशेष, पिछली अवधि में अर्जित आय शामिल हैं। ये निवेशों के वित्तपोषण के लिए आस्ति पक्ष में दर्शाये गए बैंक के निजी स्रोत हैं। लेखा के परिप्रेक्ष्य से बैंक की इक्विटी पूँजी की राशि नेट वर्थ है जो यह दर्शाता है कि कितने मार्जिन से बाहरी देयताओं से आस्तियाँ अधिक होती हैं, अर्थात् जितने मार्जिन से जमा निधियों और लम्बी अवधि के उधारों को रक्षित किया जाता है यदि बैंक को अपनी आस्तियों का परिसमापन करना होता है। इक्विटी निधि की कीमत उच्च है, इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश और पूँजीगत प्रोत्साहन के माध्यम से रिटर्न दिया जाता है।

- **बाजार से उधार** अन्तरबैंकिंग ऋण, पुनः खरीद समझौतों, मुद्रा बाजार उधार और बौंड जारी करके लिया जाता है। इन प्रबंधित देनदारियों को अधिक अस्थिर और

दर–संवेदनशील जमा निधियों के अधीन किया जाता है और इनकी पहुँच बाजार तरलता और बैंक की अपनी क्रेडिट योग्यता पर आधारित होती है। उधार सुरक्षित या असुरक्षित हो सकते हैं।

- **ग्राहकों से प्राप्त जमायें** बैंकों का प्रमुख निधि स्रोत हैं जो न्यूनतम लागत पर उपलब्ध बैंक की सबसे प्रमुख संविदात्मक देनदारियाँ हैं।

1.4.2 बैंक देनदारियों का उपयोग निवेशों और अग्रिमों में पूँजी लगाने में किया जाता है जो इसकी आस्तियों का निर्माण करती हैं।

चित्र 1: बैंक पूंजी संरचना एवं पूंजी पर्याप्तता

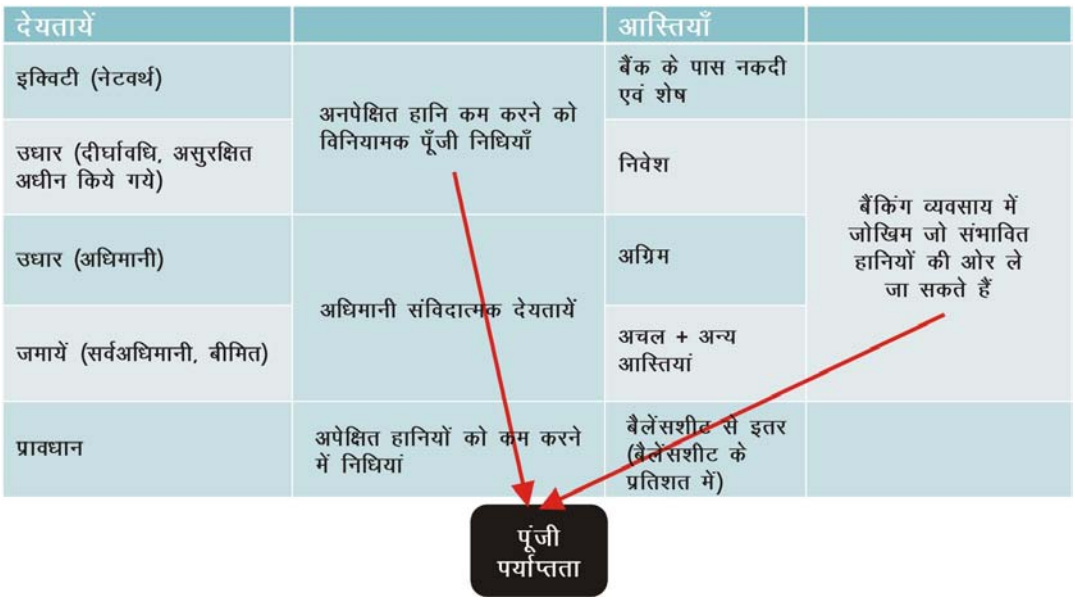

बैंक आस्तियां कई जोखिमों से प्रभावित हो सकती हैं (निधि पर आधारित[2] और निधि पर न आधारित[3] ऋण पर क्रेडिट जोखिम, निवेशों एवं ऑफ बैलेंस शीट डेरिवेटिवों पर बाजार जोखिम, व्यापारिक बहियों एवं बैंकिंग में जोखिम और परिचालन संबंधी जोखिम) जिनसे भविष्य में हानि हो सकती है। आस्तियों की कम गुणवत्ता (अग्रिम जिनकी वसूली की संभावना कम हो) के कारण प्रावधान बनाने की आवश्यकता हो सकती है जिसके कारण बैलेंसशीट पर बोझ पड़ सकता है। दूसरी तरफ; बैंक की जमायें और बाजार उधारियां संविदात्मक देयतायें हैं, जिसका भुगतान समय पर न होने पर, बैंक असफल (दिवालिया) हो सकते हैं। इसी सन्दर्भ में बैंकों की अपनी पूँजी (इक्विटी पूँजी और अधीनस्थ ऋण) महत्वपूर्ण बन जाती है जो बैंक को दिवालिया किये बगैर हानियां को अवशोषित कर सकती हैं। बैंक पूँजी का प्राथमिक कार्य बैंक के परिचालन में सहायता करना, असंभावित हानियों एवं आस्ति के मूल्य में गिरावट को अवशोषित करने के लिए सहारे का कार्य करना अन्यथा जिनके कारण बैंक असफल हो सकते हैं, और परिसमापन[4] के समय ऋणधारकों और अबीमित जमाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना है। अतः पूँजी उन बैंकों के लिए अति आवश्यक है जो अन्य व्यवसायों की तुलना में उच्च लीवरेज या कर्जभार रखते हैं। विनियामक परिप्रेक्ष्य से, पी एस बी

[2] निधि आधारित क्रेडिट–ऋण और अग्रिम

[3] गैर–निधि आधारित क्रेडिट–बैंक गारंटी, साख पत्र आदि।

[4] यू एस फेडेरल रिजर्व के अनुसार बैंक की पूंजी के कार्य

के पास बड़ी हानियों को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त पूँजी निधि होनी चाहिए जिससे कि जमाकर्ता की निधि पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। बैंक पूँजी जितनी अधिक मात्रा में होगी, जमाकर्ताओं की निधि उतनी ही सुरक्षित होगी। अतः बैंकिंग विनियमों के अनुसार बैंक अपनी आवश्यक न्यूनतम पूँजीगत आवश्यकताओं को पूरा करे जिससे कि बैंक की ऋणशोधन क्षमता, सुरक्षा और बैंकिंग प्रणाली की मजबूती कायम रहे।

1.5 पी एस बी के अतिरिक्त पूँजीकरण के लिए कुछ संचालक

भारतीय बैंकिंग प्रणाली में पी एस बी एक सबसे बड़ा क्षेत्र है जिसमें मुख्य विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करते हुये उच्च क्रेडिट क्षमता प्राप्त करने के लिए पूँजी लगाने की जरूरत है। पी एस बी की व्यवसाय योजना एवं उनकी जोखिम सहनशीलता को ध्यान में रखते हुए, पूँजी पर्याप्तता की विनियामक आवश्यकतायें एवं क्रेडिट वृद्धि जरूरतें, पी एस बी के अतिरिक्त पूँजीकरण के लिए दो महत्वपूर्ण संचालक हैं।

1.5.1 पूँजी पर्याप्तता आवश्यकतायें

1.5.1.1 बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (बी सी बी एस) द्वारा वैश्विक स्तर पर बैंकों के विनियामक ढाँचे को तैयार किया जाता है जो बैंक पर्यवेक्षकों की एक समिति है जिसमें प्रतिनिधि[5] देशों के सदस्य सम्मिलित हैं। बेसल समिति बैंकों के विवेकपूर्ण विनियमन के लिए विश्व स्तर पर प्राथमिक मानक निर्माणकर्ता है और बैंकिंग पर्यवेक्षण मामलों पर सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसका अधिदेश वित्तीय स्थिरता बढ़ाने के उद्देश्य के साथ, विश्वभर में बैंक के विनियमन, पर्यवेक्षण और व्यवसाय को मजबूत बनाना है। आर बी आई बेसल मानकों का पालन करता है, यद्यपि आर बी आई के मानक प्रायः बेसल मानकों से अधिक सख्त होते हैं।

1.5.1.2 अब तक, बेसल मानकों के तीन सेट जारी हो चुके हैं। बी सी बी एस ने सर्वप्रथम बेसल I मानक 1988 में, बैंकों की विनियामक पूँजी आवश्यकताओं को वैश्विक मानक प्रदान करने के लिए, जारी किया। इसे न्यूनतम पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सी ए आर) द्वारा अधिरोपित किया गया, जो विनियामक पूँजी निधि और जोखिम भारित आस्तियों के अनुपात के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है जिसका अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर सक्रिय सभी बैंकों को निर्वाह करना होता है। सी ए आर को पूँजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सी आर ए आर) भी कहते हैं।

$$\text{सी ए आर} = \frac{\text{विनियामक पूँजी निधियाँ}}{\text{जोखिम भारित आस्तियाँ (आर डब्ल्यू ए)}}$$

[5] **प्रतिनिधि–बी सी बी एस में प्रतिनिधि देशों की संख्या समय के साथ बदलती रही है। बेसल I एवं II के सूत्रीकरण के समय, आर बी आई, बी सी बी एस का भाग नहीं था। तथापि, बेसल III के अभिकल्पना के समय, आर बी आई, बी सी बी एस में जी–20 देशों के भाग के रूप में उपस्थित था।**

इसके बाद, 2004 में बेसल II मानकों को लाया गया जिन्होंने पूँजी पर्याप्तता, जोखिम प्रबन्धन और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के दिशानिर्देशों को और मजबूत बनाया। इसके बाद 2010 में मानकों को बेसल III में पुनः संशोधित किया गया।

1.5.1.3 बेसल मानकों में परिभाषित बैंकों की विनियामक पूँजी निधियों में टियर I और टियर II की पूँजी शामिल है।

- **टियर I पूँजी** में मुख्यतः शेयर पूँजी और प्रकटीकृत निधि (गुडविल घटाकर, यदि कोई है) शामिल हैं। इसे उच्चतम गुणवत्ता का माना जाता है क्योंकि यह हानियों को कवर करने के लिए पूरी तरह उपलब्ध रहती है। इसलिये, इसे कोर पूँजी भी कहते हैं।

- **टियर II पूँजी** जिसे अनुपूरक पूँजी भी कहा जाता है, में कुछ आरक्षित निधियां और विशिष्ट प्रकार के गौण ऋण शामिल हैं। टियर II वस्तुएं तब तक विनियामक पूँजी के रूप में योग्य होती हैं जब तक ये बैंक के क्रियाकलापों से उत्पन्न हानियों को अवशोषित करने के लिए उपयोग की जा सकती हैं। टियर II पूँजी की हानि अवशोषण क्षमता टियर I पूँजी से कम होती है।

टियर I पूँजी (गोईंग–कन्सर्न पूँजी)

(ए) समान इक्विटी टियर I

(i) चुकता इक्विटी पूँजी

(ii) इक्विटी पूँजी जारी करने पर शेयर की किस्त;

(iii) सांविधिक आरक्षित निधि;

(iv) पूँजी आरक्षित निधि अर्थात आस्तियों के बिक्री आगमों के अधिशेष

(v) अन्य प्रकटीकृत निर्बंध आरक्षित निधि, यदि कोई है;

(vi) पिछले वित्तीय वर्ष के अन्त में लाभ और हानि खाते का शेष

(बी) अतिरिक्त टियर I

(i) निरंतर अस्थायी अधिमान शेयर और इस पर शेयर की किस्त

(ii) स्थायी ऋण लिखत जो बाण्ड और डिबेंचर के रूप में जारी किये जा सकते हैं।

(iii) आर बी आई द्वारा अधिसूचित कोई भी अन्य प्रकार के लिखत

टियर II पूँजी (गॉन कन्सर्न पूँजी)

(i) सामान्य प्रावधान और हानि आरक्षित निधि

(ii) बैंक द्वारा जारी ऋण पूँजी लिखत

(iii) अधिमानी शेयर पूँजी और उस पर शेयर की किस्त, यदि कोई है

(iv) 55 प्रतिशत की छूट पर पुनर्मूल्यांकन की गई आरक्षित निधि

(v) आर बी आई के द्वारा सामान्यतः अधिसूचित अन्य प्रकार के लिखत

1.5.1.4 बैंक आस्तियों के साथ कुछ न कुछ जोखिम रहता है। इसमें क्रेडिट जोखिम[6], बाजार जोखिम[7] और परिचालन जोखिम शामिल हैं। आस्तियों के जोखिम के आधाार पर, इसको एक विशिष्ट जोखिम भार दिया जाता है और आस्ति मूल्य को जोखिम भार के आधार पर समायोजित किया जाता है; जितनी जोखिमपूर्ण आस्ति, उतना उच्च जोखिम भार और उतना कम आस्ति मूल्य होता है। भारत में, आर बी आई विभिन्न आस्तियों के लिए जोखिम भार निर्धारित करता है। विभिन्न आस्तियों के जोखिम भार भिन्न होते हैं। उदाहरणस्वरूप सरकारी दिनांकित प्रतिभूति पर शून्य प्रतिशत और ए ए ए श्रेणी के विदेशी बैंक पर 20 प्रतिशत, आदि। जोखिम भारित आस्ति प्राप्त करने के लिए, आस्ति की कल्पित राशि को आस्ति पर निर्धारित किए गए जोखिम भार से गुणा किया जाता है।

1.5.1.5 विनियामक पूँजी और जोखिम भारित आस्तियों के आधार पर, किसी बैंक के सी आर ए आर की गणना की जाती हैं। पूँजी की मात्रा, विनियामक पूँजी निधि की

सी ई टी I अनुपात, सामान्य इक्विटी टियर I पूँजी और जोखिम भारित पूँजियों का अनुपात है।

सी आर ए आर में सभी टियर I पूँजी शामिल है अतः सी ई टी I, सी आर ए आर से अधिक प्रतिबंधात्मक है।

[6] **क्रेडिट जोखिमः जोखिम जो एक पक्षकार द्वारा संविदात्मक समझौता या ट्रान्जैक्शन के दायित्वों को पूरा करना या प्रतिबद्धताओं को पूरा न करना**

[7] **बाजार जोखिमः एक ट्रान्जैक्शन या समझौते में निर्दिष्ट मूल्य या बाजार मूल्यों में उतार–चढ़ाव से उत्पन्न हानि का जोखिम**

परिभाषा, जोखिम कवरेज और जोखिम भार आकलन पद्धतियों के सम्बन्ध में बेसल पद्धति के तहत सी आर ए आर के लिए दिशानिर्देश समय के साथ विस्तृत हुए हैं। यह क्रमविकास वैश्विक सर्वेक्षण न्यायाधिकरणों द्वारा, वित्तीय संकट जो समय के साथ–साथ घटित हुए, से मिले सबक के साथ शुरू हुए। बेसल III मानकों का विकास 2007–08 के वैश्विक वित्तीय संकट का नतीजा था। बेसल III, बी सी बी एस द्वारा विकसित सुधार उपायों का एक व्यापक सेट है जो बैंकिंग क्षेत्र के विनियमन, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। इन उपायों का उद्देश्य (i) वित्तीय एवं आर्थिक दबाव से उत्पन्न आघातों को अवशोषित करने के लिये बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता में सुधार (ii) जोखिम प्रबन्धन और संचालन में सुधार (iii) बैंक की पारदर्शिता और प्रकटीकरण को मजबूत करना है। इन सुधारों का लक्ष्य बैंक–स्तरीय विनियमन है, जो बैंकिंग संस्थाओं की मैक्रो प्रूडेन्शियल और दबाव की अवधि में, प्रणालीगत जोखिम और इन जोखिमों के पूर्व आवर्ती विस्तारण के समय उत्पन्न हो सकते हैं, के समय बैंक की आघातसहनीयता बढ़ाने में मदद करेगा। वास्तव में, बेसल III ने टियर I पूँजी अनुपात और सी आर ए आर की तुलना में सामान्य इक्विटी टियर I (सी ई टी I) अनुपात की पर्याप्तता पर अलग से बल दिया है।

1.5.1.6 बेसल पूँजी पर्याप्तता मानकों के क्रमिक विकास का सारांश नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत है:

तालिका 1.2: बेसल पूँजी समझौते का क्रमविकास

	बेसल I	**बेसल II**	**बेसल III**
आवेदन (बी सी बी एस)	1988	2004	2010
विनियामक पूँजी–परिभाषा	**टियर I** : सामान्य इक्विटी, आरक्षित निधियां और अधिशेष, प्रतिधारित उपार्जन **टियर II** : गौण ऋण	**टियर I** : स्थायी पूँजी सामान्य इक्विटी, आरक्षित निधियां एवं अधिशेष, प्रतिधारित उपार्जन **निम्न टियर I** : अधिमानी शेयर (पी एन सी पी एस), नवीन स्थायी ऋण लिखत (आई पी डी आई) **टियर II** : उर्ध्व टियर II बॉण्ड, अधिमानी शेयर, गौण ऋण	**गोईंग कन्सर्न पूँजी** • **सी ई टी I**: सामान्य इक्विटी, आरक्षित निधियां एवं अधिशेष, प्रतिधारित उपार्जन • **ए टी I**: अधिमानी शेयर (पी एन सी पी एस) और हानि अवशोषित करने वाले स्थायी ऋण लिखत (पी डी आई) और पी ओ एन वी ट्रिगर[8] **गॉन–कन्सर्न पूँजी** लम्बी अवधि के

[8] **पी ओ एन वी ट्रिगर अव्यवहार्यता ट्रिगर का बिन्दु यह बेसल III मानक के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरोपित शर्त है जिसके अन्तर्गत, यदि आर बी आई किसी बैंक को अव्यवहार्य पाती है, तो बैंक का गैर–इक्विटी बाण्ड अपलेखित किया जायेगा।**

			अधीनस्थ बॉण्ड एवं पी ओ एन बी ट्रिगर वाले अधिमानी शेयर
आर डब्ल्यू ए कवरेज	ऑन और ऑफ बैलेंस शीट की स्थिति के लिए क्रेडिट जोखिम भारित आस्तियां	ऑन और ऑफ बैलेंस शीट के लिए क्रेडिट, बाजार और परिचालन जोखिम भारित आस्तियाँ	ऑन और ऑफ बैलेंस शीट , अधिक जोखिम करवेज के लिए क्रेडिट, बाजार और परिचालन जोखिम भारित आस्तियाँ
आर डब्ल्यू ए कार्य–प्रणाली	मानकीकृत, **जोखिम संवेदनशील नहीं**	मानकीकृत और उन्नत मॉडल आधारित कार्य–प्रणालियां, और **अधिक जोखिम संवेदनशील**	मानकीकृत और उन्नत मॉडल आधारित कार्य–प्रणालियाँ, और **अधिक जोखिम संवेदनशील**
न्यूनतम सी आर ए आर (बी सी बी एस)	आठ प्रतिशत	आठ प्रतिशत	आठ प्रतिशत +2.5 प्रतिशत पूँजी संरक्षण बफर

[स्रोतः मास्टर सर्कुलर–बेसल III पूँजी विनियम (जुलाई 2015), आर बी आई और मास्टर सर्कुलर– पूँजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन पर प्रूडेन्शियल दिशानिर्देश–नई पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (एन सी ए एफ), आर बी आई (जुलाई 2015)]

बेसल II मानक तीन स्तम्भों पर आधारित थे–न्यूनतम पूँजी आवश्यकता, पर्यवेक्षी समीक्षा और बाजार अनुशासन, जिन्हें बेसल III मानकों में और मजबूती प्रदान की गई।

- **स्तम्भ II–पर्यवेक्षी समीक्षाः** बेसल II मानकों में सी आर ए आर के लिए दबाव परीक्षण और न्यूनतम पूँजी आवश्यकता में न पाये जाने वाले जोखिमों के लिए अतिरिक्त आन्तरिक पूँजी बफर रखने का प्रावधान था। बेसल III मानकों में भी इन पर जोर दिया गया है।

- **स्तम्भ III–बाजार अनुशासनः** बेसल II मानकों में बैंकों के और अधिक कठोर प्रकटीकरण के द्वारा बाजार अनुशासन का प्रावधान था। बेसल III मानकों ने बैंक के लेखा आँकड़ों और लीवरेज अनुपात के प्रकटीकरण के साथ नियामक प्रकटीकरण की समन्वय आवश्यकताओं को जोड़ दिया (टियर I पूँजी और बैंक की औसत कुल समेकित आस्तियों का अनुपात, अर्थात, जोखिम भारों और क्रेडिट रूपान्तरण के बिना सभी आस्तियों और गैर–बैलेंस शीट मदों के प्रकटीकरण का योग)।

1.5.1.7 भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में बेसल मानदंडों का अनुप्रयोग, विनियामक, आर बी आई द्वारा निर्धारित किया जाता है। बेसल II मानदंडों को अपनाने में अंतर रहा है; बेसल I मानदंड (1988), 1996 में अपनाए गए थे, बेसल II मानदंड (2004), 2008 में अपनाए गए थे तथा सितंबर 2013 में बेसल III मानदंड (2010) को अपनाने का कार्य आरंभ हुआ था तथा उसके 31 मार्च, 2019 तक पूर्ण होने की उम्मीद थी। आर बी आई के मानदंड हालाँकि, बेसल मानदंडों की तुलना में अधिक कठोर थे। आर बी आई ने 8 प्रतिशत की न्यूनतम सी आर ए आर के बेसल मानदंडों की तुलना में,

भारतीय बैंकों के लिए 9 प्रतिशत की एक सी आर ए आर निर्धारित की। वर्तमान में, आर बी आई द्वारा निर्धारित न्यूनतम सी आर ए आर 9 प्रतिशत जमा 2.5 प्रतिशत कैपिटल कन्जर्वेशन बफर (सी सी बी) है।

1.5.1.8 भारत में बेसल III मानदंडों को कार्यान्वित करने के लिए आर बी आई ने वित्तीय वर्ष 19 (तालिका 1.3) तक न्यूनतम पूँजी पर्याप्तता को प्राप्त करने के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्था की निम्न अनुसूची निर्धारित की है:

तालिका 1.3: भारत में बेसल III के कार्यान्वयन के लिए संक्रमण अनुसूची

	जोखिम भारित आस्तियों का प्रतिशत (31 मार्च को)					
	2013-14	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
न्यूनतम सामान्य इक्विटी टियर I (सी ई टी I)	5	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
अतिरिक्त टियर I (ए टी I)	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
न्यूनतम टियर I (सी ई टी I + ए टी I)	6.50	7	7	7	7	7
कैपिटल कंजर्वेशन बफर	0	0	0.63	1.25	1.88	2.50
न्यूनतम टियर I + सी सी बी	6.50	7	7.63	8.25	8.88	9.50
न्यूनतम सी ई टी (सी सी बी सहित)	5	5.50	6.13	6.75	7.38	8
टियर II	2.50	2	2	2	2	2
कुल न्यूनतम पूँजी *	9	9	9	9	9	9
कुल न्यूनतम पूँजी + सी सी बी	9	9	9.63	10.25	10.88	11.50
सी ई टी I # से सभी कटौतियों का चरण	40	60	80	100	100	100

** 9 प्रतिशत की कुल न्यूनतम पूँजी आवश्यकता तथा टियर I आवश्यकता के अंतर को टियर II व पूँजी के उच्च रूपों से पूरा किया जा सकता है।*

 # अतिरिक्त टियर I एवं टियर II की पूँजी से कटौती के लिए वही संक्रमणकालीन दृष्टिकोण लागू होगा।

(स्रोत : 24 नवम्बर, 2014 का सी सी ई ए के लिए नोट, 10 दिसम्बर, 2014 को अनुमोदित किया गया)

1.5.1.9 बेसल III मानदंडों का कार्यान्वयन भारतीय बाजारों में नियंत्रित आर्थिक विकास के अनुरूप है जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 1.4: भारतीय आर्थिक विकास

वित्तीय वर्ष	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17** (पी ई)
स्थिर कीमतों (2011–12 श्रृंखला) पर जी डी पी विकास दर (प्रतिशत)	5.5	6.4	7.5	8.0	7.1

(स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्यवन मंत्रालय, भारत सरकार)

बेसल **III** मानदंडों का कार्यान्वयन भारतीय बैंकों के लिए बढ़ी हुई एन पी ए संबंधित हानियों के भी अनुरूप है, जिसके कारण उच्च प्रावधान एवं अपलेखन करना पड़ा तथा कम वसूली की दर रखनी पड़ी जिसके कारण बैंकों की उपलब्ध पूँजी का तेजी से क्षरण हुआ।

1.5.2 क्रेडिट वृद्धि

जैसे–जैसे अर्थव्यवस्थाएँ बढ़ती हैं, क्रेडिट की आवश्यकताएँ बढ़ जाती हैं। बैंकों की व्यावसायिक विस्तार योजनाओं के साथ, आर्थिक विकास की गति पर निर्भर होते हुए ताजा पूँजी प्रवाह आवश्यक है ताकि, बैंक विवेकपूर्ण विनियामक मानदंडों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूँजी बनाए रखें।

अध्ययन (2008–16) की अवधि के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अग्रिम ₹ 22,59,212 करोड़ से बढ़कर ₹ 55,93,577 करोड़ तक दोगुने से अधिक हो गए थे, यद्यपि हाल के वर्षों (वर्ष 2009–10 में 19.56 प्रतिशत की दर की तुलना में 2015–16 में वृद्धि की दर 2.14 प्रतिशत रही) में अग्रिम वृद्धि की दर में गिरावट आई है। सभी पी एस बी बनाम सभी एस सी बी द्वारा अग्रिम की वर्ष–वार मात्रा तथा अग्रिम की वृद्धि दर का सार निम्न चार्ट में दिया गया है :

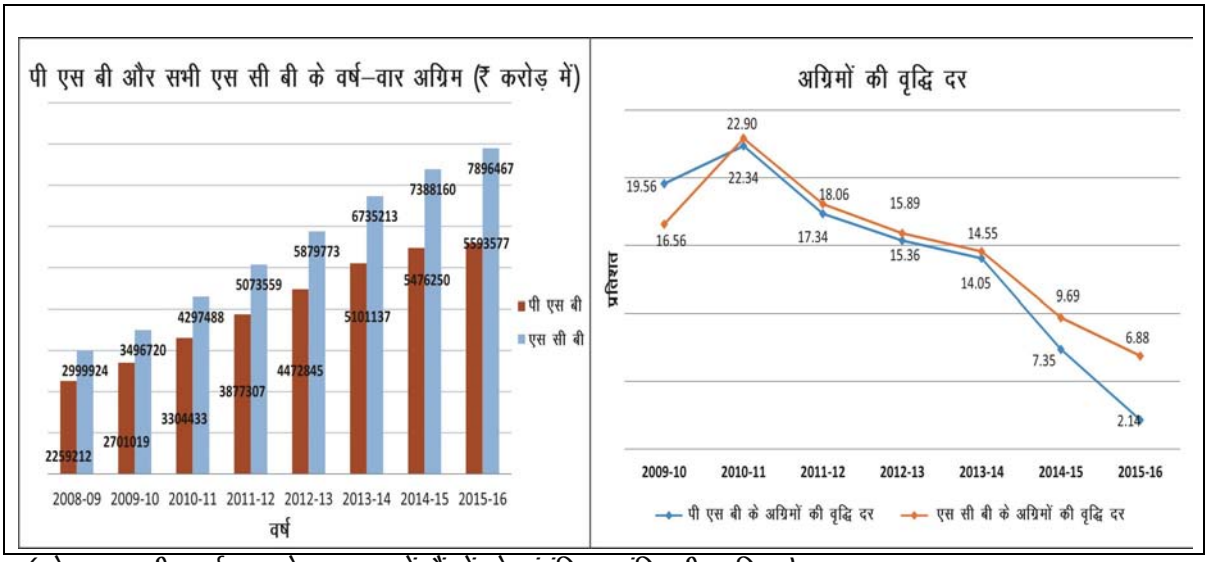

(स्रोतः आर बी आई डाटाबेसः भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकी तालिका)

जैसा कि ऊपर दिए गए चार्ट से देखा जा सकता है, पी एस बी अर्थव्यवस्था में अधिकांश क्रेडिट के लिए उत्तरदायी है। अग्रिम की बैंक–वार स्थिति **अनुलग्नक–II** में है। पी एस बी द्वारा अग्रिम को प्राथमिकता एवं गैर–प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अग्रिम में विभाजित किया गया है। 2012–16 के दौरान, प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अग्रिम कुल अग्रिम, के 31.96 प्रतिशत से 35.72 प्रतिशत के बीच हैं। 2012–16 के दौरान पी एस बी द्वारा दिए गए अग्रिम के संयोजन को अगले पृष्ठ पर दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है:

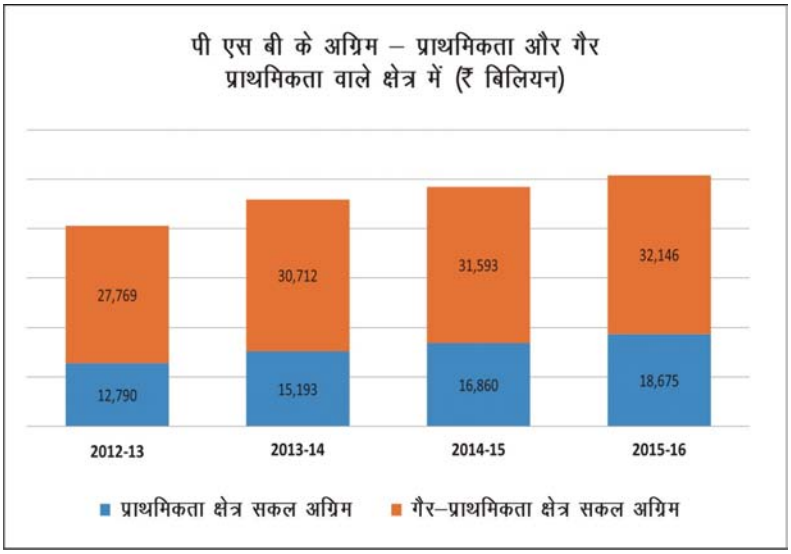

प्राथमिकता क्षेत्र में मुख्य रूप से सम्मिलित है:

(i) कृषि

(ii) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

(iii) निर्यात क्रेडिट

(iv) शिक्षा

(v) आवास

(vi) सामाजिक आधारभूत संरचना

(vii) अक्षय ऊर्जा

(स्रोतः आर बी आई डाटाबेसः भारत में बैंक से संबंधित सांख्यिकी तालिकाः घरेलू संचालन)

1.5.3 पी एस बी का संचालनात्मक निष्पादन और पूँजी आवश्यकताओं पर उनका प्रभाव

1.5.3.1 बैंक का निष्पादन मुख्य रूप से आस्तियों पर आय (आर ओ ए) एवं इक्विटी पर आय (आर ओ ई) में परिलक्षित होता है।

- आर ओ ए दर्शाता है कि एक बैंक उसकी कुल आस्तियों की तुलना में कितना लाभ में है। आर ओ ए लाभ उत्पन्न करने के लिए बैंक की आस्तियों के उपयोग करने की दक्षता को मापता है। औसत कुल आस्तियों द्वारा शुद्ध आय को विभाजित करके इसे तैयार किया जाता है। एक उच्च आर ओ ए एक बेहतर प्रबंधित बैंक को दर्शाता है। पूँजी में लाभ के अलावा, यह अतिरिक्त निधियों हेतु बाजार तक पहुँचने के लिए बैंक की क्षमता में सुधार भी करता है।

- आर ओ ई बैंक के शेयरधारकों की निधियों के उपयोग करने की दक्षता को दर्शाता है। इक्विटी पर उच्च आय भी आरक्षित निधियों एवं अधिशेषों के माध्यम से बैंक की पूँजी में वृद्धि करेगी। एक उच्च अनुपात शेयरधारक की पूँजी के बेहतर प्रबंधन को दर्शाता है। कम अथवा नकारात्मक आर ओ ई बैंक द्वारा अपनी विनियामक पूँजी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अतिरिक्त निधियाँ जुटाने के लिए पूँजी बाजारों के दोहन की क्षमता को कम कर देती है।

1.5.3.2 2010–11 से 2015–16 के दौरान, पी एस बी के आर ओ ए एवं आर ओ ई को सभी एस सी बी सहित अगले पृष्ठ पर दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है:

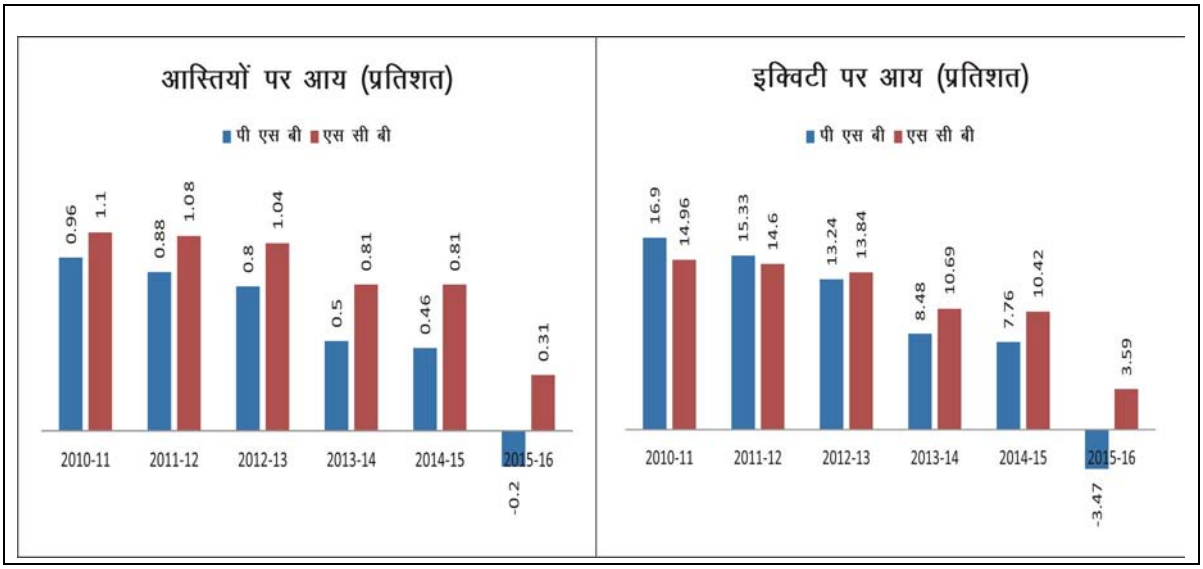

(स्रोतः आर बी आई डाटाबेसः भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकी तालिका)

जैसा कि ग्राफ से देखा जा सकता है, सभी एस सी बी की तुलना में पी एस बी का आर ओ ए लगातार कम रहा है, जबकि पी एस बी का आर ओ ई 2012–13 से कम है। 2015–16 में, पी एस बी हेतु आर ओ ए एवं आर ओ ई नकारात्मक रहे जो बैंक को हुई हानि को दर्शाता है। हालाँकि, इसकी तुलना में सभी एस सी बी का समग्र परिणाम सकारात्मक रहा है जो निजी क्षेत्र एवं विदेशी बैंकों की तुलना में पी एस बी के निष्पादन में अंतर को दर्शाता है।

1.5.3.3 बैंक की आस्ति की गुणवत्ता भी बैंक के निष्पादन का एक महत्वपूर्ण सूचक है। बैंक की बिगड़ती हुई आस्ति गुणवत्ता से (वृहत्तर चूक, कर्जदारों की निम्न श्रेणी इत्यादि) प्रावधान व अपलेखन के साथ–साथ उच्च जोखिम भारित आस्तियों के कारण उपलब्ध पूँजी का तेजी से क्षरण होगा। निम्न आस्ति गुणवत्ता वाले बैंक को पूँजी पर्याप्तता की विनियामक आवश्यकता को बनाए रखने के लिए उच्च वृद्धिशील पूँजी जुटाने की आवश्यकता होगी। साधारणतः एस सी बी तथा विशेषकर पी एस बी की अनर्जक आस्तियों की स्थिति निम्न तालिका 1.5 में दर्शायी गई है।

बैंक की अनर्जक आस्तियाँ (एन पी ए) वह आस्तियाँ (लीज्ड आस्तियों सहित) है जिन्होंने बैंक के लिए आय को उत्पन्न करना बंद कर दिया है।

तालिका 1.5 : बैंकिंग समूह के अनुसार भारतीय बैंकों का सकल एन पी ए

(₹ करोड़ में)

एस सी बी के सकल एन पी ए	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
एस बी आई एवं सहयोगी	48,214	62,779	79,817	73,509	121,969
अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक	69,048	101,683	147,447	204,960	417,988
निजी बैंक	18,768	21,071	24,542	34,106	56,186
विदेशी बैंक	6,297	7,977	11,565	10,761	15,805
कुल सकल एन पी ए	**142,327**	**193,510**	**263,371**	**323,336**	**611,948**
कुल सकल एन पी ए में पी एस बी (प्रतिशत) का हिस्सा	**82**	**85**	**86**	**86**	**88**

(स्रोतः आर बी आई डाटाबेसः भारत में बैंक से संबंधित सांख्यिकी तालिका)

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, पी एस बी बैंकिंग क्षेत्र में एन पी ए के सबसे बड़े हिस्से के लिए उत्तरदायी है जो पिछले पाँच वर्षों से लगातार बढ़ रहा है। बैंक के उपार्जन पर पी एस बी की तेजी से बिगड़ती हुई आस्ति गुणवत्ता का परिणाम दोहरा है। पहला, एन पी ए के स्तर में वृद्धि होने से बैंक की ब्याज की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि संभवतः एन पी ए खाते ब्याज का शोधन नहीं कर रहे थे। दूसरा, बैंक को (अपनी कम आय में से) अधिक प्रावधान बनाए रखना होगा, इस कारण से उसके शुद्ध लाभ प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे और यह नकारात्मक भी हो सकते हैं जिससे बैंक की उपलब्ध पूँजी का तेजी से क्षरण होगा।

1.6 पी एस बी के पुनर्पूंजीकरण के संभावित तरीके

1.6.1 2008–09 एवं 2015–16 के दौरान, पी एस बी द्वारा विस्तारित किये गए अग्रिम में दोहरी से अधिक वृद्धि के साथ बेसल III मानदंडों के परिणामस्वरूप आर बी आई द्वारा लागू की गई सख्त पूँजी पर्याप्तता आवश्यकताओं तथा पी एस बी के खराब प्रदर्शन से पूँजी की महत्वपूर्ण आवश्यकता हुई। पी एस बी के पुनर्पूंजीकरण की आवश्यकताओं को या तो शेयरधारकों (मुख्य रूप से भारत सरकार) द्वारा पूँजी के प्रवाह अथवा पी एस बी द्वारा बाजार से अपेक्षित निधियों को प्राप्त करने के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।

1.6.2 पी एस बी के पुनर्पूंजीकरण का प्राथमिक उत्तरदायित्व प्रायः सरकार पर होता है, जो इन बैंकों में प्रमुख शेयरधारक है। सरकार पी एस बी के संचालन में वितरणशील विकास एवं इक्विटी के व्यापक उद्देश्यों को संबोधित करने के लिए भी पूँजी का प्रवाह कर सकती है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक का पी एस बी स्वरूप अपरिवर्तित रहे, भारत सरकार की शेयरधारिता को एक निश्चित बेंचमार्क से कम करना (58 प्रतिशत को बाद में दिसम्बर 2014 में 52 प्रतिशत तक कम कर दिया गया) संभव नहीं हो सकता। हालाँकि, जैसा कि पैराग्राफ 1.3.2 में चार्ट से देखा जा सकता है कि वर्तमान में पी एस बी के पास जी ओ आई की उच्च शेयरधारिता है जो 52 प्रतिशत के अनिवार्य बेंचमार्क से काफी अधिक हैं।

1.6.3 बाजार से निधियों को प्राप्त कर पाने में पी एस बी के समर्थ न होने का एक कारण उनका खराब प्रदर्शन है, विशेष रूप से उन मामलों में जहाँ अधिक एन पी ए से उत्पन्न होने वाली पूँजी के क्षरण तथा हानियों के प्रतिसंतुलन के लिए पुनर्पूंजीकरण आवश्यक है। 31 मार्च 2017 को पी एस बी शेयरों के बाजार मूल्य एवं बही मूल्य की तुलना को निम्न चार्ट में दर्शाया गया है (13 पी एस बी के लिए जहाँ सूचना 25 मई 2017 को उपलब्ध थी)

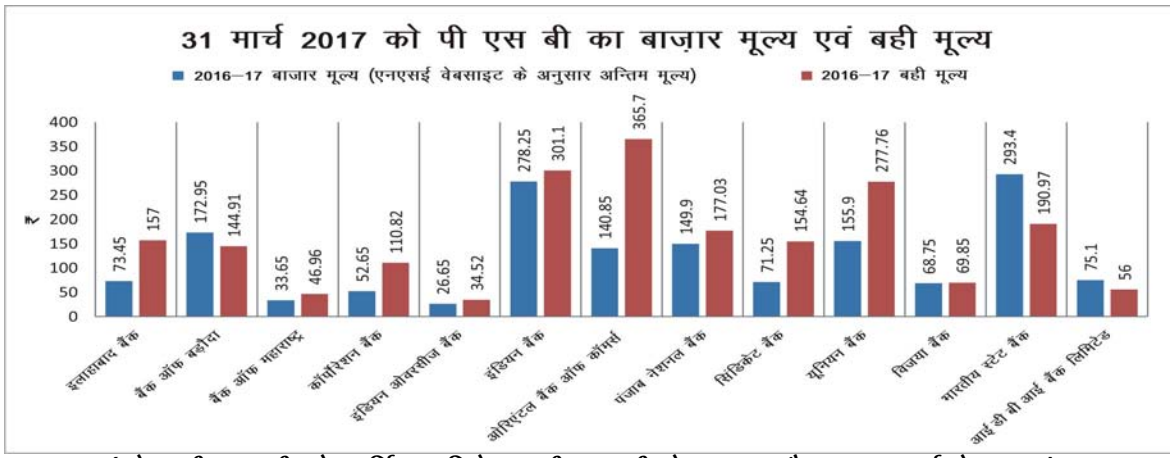

(स्रोतः पी एस बी के वार्षिक प्रतिवेदन, पी एस बी वेबसाइट और एन एस ई वेबसाइट)

पी एस बी के शेयर के बही मूल्य एवं बाजार मूल्य के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है जिसमें अधिकतर पी एस बी के बाजार मूल्य उनके बही मूल्यों की तुलना में कम हैं। पी एस बी शेयर का निम्न बाजार मूल्य निर्धारण अतिरिक्त पूँजी निधियों हेतु बैंक को बाजार तक पहुँचने में विघ्न डालेगा। इसके अलावा, निम्न शेयर मूल्यों का तात्पर्य यह होगा कि बाजार से जुटायी जा सकने वाली निधियों की मात्रा कम होगी तथा पी एस बी के पुनर्पूंजीकरण की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकेगा जबकि सरकार का हिस्सा उसमें से कम होता जाएगा।

1.6.4 2008–09 से 2016–17 के दौरान, भारत सरकार पी एस बी में आवश्यकता आधारित पूँजी प्रवाहित करती रही है ताकि वे क्रेडिट वृद्धि अपेक्षाओं को पूरा करते हुए टियर–I की पूँजी पर्याप्तता बनाए रखें। पूँजी प्रवाह आमतौर पर भारत सरकार को प्राप्तकर्ता बैंक द्वारा इक्विटी शेयरों के अधिमान्य आवंटन के माध्यम से किया गया है। पी एस बी, अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफ पी ओ) राईट्स इशू, अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यू आई पी), एक्सचेंज ट्रेडेड फंड तथा निवेशकों (अर्थात, एल आई सी, जी आई सी व अन्य निजी निवेशकों) को अधिमान्य आवंटन द्वारा घरेलू बाजारों से भी पूँजी एकत्र कर सकते हैं। पी एस बी के लिए पूँजीकरण के संसाधनों को एकत्रित करने हेतु संभावित विकल्पों को आँकने के लिए वित्तीय संस्थानों की पूँजी आवश्यकता पर एक उच्चस्तरीय समिति (एच एल सी) गठित[9] (सितंबर 2011)की गई थी। समिति ने अन्य बातों के साथ पी एस बी के लिए एक नियंत्रक कंपनी बनाने की अनुशंसा की जो कि तब आवश्यक अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (ई बी आर) को एकत्रित कर सके।

1.7 2008–09 से 2016–17 के दौरान पी एस बी का पुनर्पूंजीकरण

समग्र बैंकिंग क्षेत्र में उनके बड़े हिस्से को देखते हुए भारतीय पी एस बी की स्थिरता एवं संपन्नता अति महत्त्वपूर्ण है। पी एस बी की पूँजी पर्याप्तता को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने प्रमुख शेयरधारक के रूप में पी एस बी में 2008–09 से 2016–17 तक ₹ 1,18,724 करोड़ लगाये।

निम्न तालिका सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के कारण बजट आकलन (बी ई), संशोधित आकलन (आर ई) तथा वास्तविक व्यय को दर्शाती है।

तालिका 1.6: पी एस बी का पुनर्पूंजीकरण बी ई, आर ई एवं वास्तविक

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	बजट आकलन	संशोधित आकलन	वास्तविक व्यय
2008-09	*उपलब्ध नहीं*	*उपलब्ध नहीं*	1900
2009-10	*उपलब्ध नहीं*	1200	1200
2010-11	16500	20157	20117
2011-12	6000	12000	12000
2012-13	14588	12517	12517
2013-14	14000	14000	14000
2014-15	11200	6990	6990
2015-16	7940	25000	25000
2016-17	25000	25000	25000
कुल	-	-	**118724**

[स्रोत: अनुदान के लिए विस्तृत मांग (2009–10 से 2016–17 तथा डी एफ एस के रिकॉर्ड)]

[9] संरचना: अध्यक्ष के रूप में वित्त सचिव साथ में सदस्यों के रूप में सचिव, व्यय विभाग, सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग, सचिव, वित्तीय सेवाओं का विभाग और मुख्य आर्थिक सलाहकार

2008–09 से 2016–17 की अवधि के दौरान, भारत सरकार ने पी एस बी में ₹1,18,724 करोड़ की पूँजी प्रवाहित की। निम्न चार्ट 2008–09 से 2015–16 की अवधि के दौरान भारत सरकार को पी एस बी द्वारा चुकाए गए लाभांश की तुलना में पी एस बी में भारत सरकार द्वारा प्रवाहित की गई बैंक–वार पूँजी को दर्शाता है।

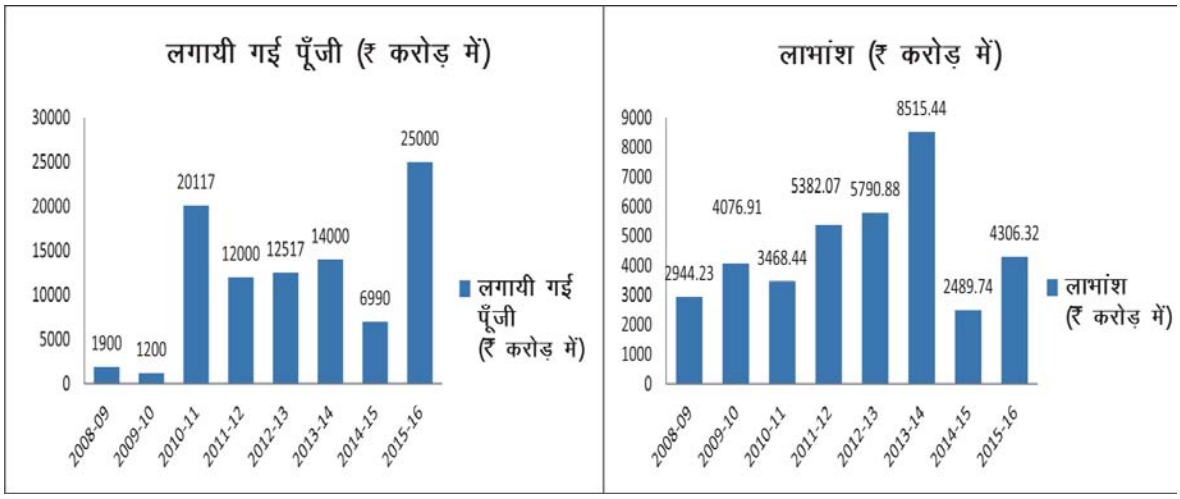

(स्रोतः डी एफ एस के रिकॉर्ड और पी ए ओ, बैंकिंग, वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए आँकड़े)

भारत सरकार से प्राप्त पूँजी प्रवाह तथा चुकाए गए लाभांशों की बैंक–वार स्थिति को निम्न चार्ट में दर्शाया गया है:

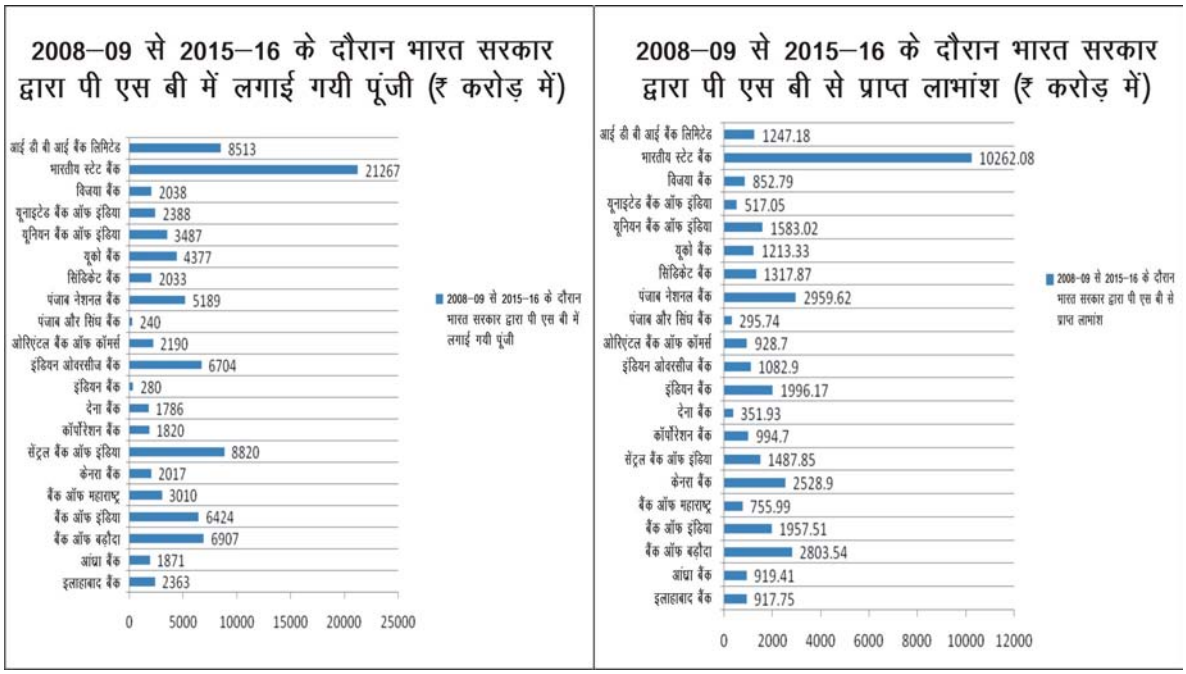

(स्रोतः डी एफ एस के रिकॉर्ड और पी ए ओ, बैंकिंग, वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए आँकड़े)

1.8 हाल ही के विकास

1.8.1 वित्त सचिव की अध्यक्षता में वित्तीय संस्थानों की पूँजी आवश्यकता पर एक उच्चस्तरीय समिति (एच एल सी) का गठन (सितंबर 2011) किया गया था। एच एल सी के अधिदेश में निम्न का आकलन सम्मिलित है:

- अगले 10 वर्षों के लिए डी एफ एस के अंतर्गत बैंक सहित विभिन्न वित्तीय संस्थानों की आवश्यकता
- इन वित्तीय संस्थानों के पूँजीकरण हेतु संसाधनों को बढ़ाने के लिए विभिन्न संभावित विकल्प
- विभिन्न सरकारों के वैश्विक अनुभव तथा विशेषकर विकासशील देशों में ऐसी पूँजीकरण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
- पूँजीकरण हेतु प्रस्तावित वरीयता प्रणाली

एच एल सी ने एक नियंत्रक कंपनी को बनाने की अनुशंसा की जिसमें भारत सरकार द्वारा सभी इक्विटी होल्डिंग को हस्तांतरित किया जाएगा तथा जिसे प्रत्येक वर्ष कुछ बजटीय सहायता भी दी जाएगी ताकि वह घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के माध्यम से प्राप्त कर सके और तत्पश्चात पी एस बी का पूँजीकरण करे। इसके बाद, डी एफ एस द्वारा एक वित्तीय नियंत्रक कंपनी (सितंबर 2016) बनाने के प्रस्ताव पर आगे न बढ़ने का निर्णय लिया गया।

1.8.2 भारत में बैंकों के बोर्ड संचालन की समीक्षा करने के लिए जनवरी 2014 में आर बी आई द्वारा श्री पी. जे. नायक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने मई 2014 में अपना प्रतिवेदन दिया तथा अन्य बातों के साथ अनुशंसा की कि:

- सरकार को पी एस बी में इक्विटी हिस्सेदारी रखने के लिए एक बैंक निवेश कंपनी (बी आई सी) स्थापित करनी चाहिए, जिसमें बी आई सी को भारत सरकार की होल्डिंग के हस्तांतरण के साथ, चरण–I, II एवं III में कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।
- चरण 1 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शीर्ष प्रबंधक वर्ग का चयन एक नव गठित बैंक बोर्ड ब्यूरो (बी बी बी) को सौंपा जाए
- बैंक अध्यक्षों के लिए एक न्यूनतम पांच–वर्ष का कार्यकाल तथा कार्यकारी निदेशकों के लिए न्यूनतम तीन–वर्ष का कार्यकाल

उसके बाद, पी एस बी एवं वित्तीय संस्थानों का एक सम्मेलन, 'ज्ञान संगम' जनवरी 2015 में आयोजित किया गया था। जिसमें नायक समिति के प्रतिवेदन को अपनाना, पेशेवरों एवं प्रतिष्ठित बैंकर सहित बी बी बी की स्थापना, बैंक बोर्ड का सशक्तिकरण, बैंक निवेश समिति की स्थापना तथा जानबूझ कर चूक करने वालों से वसूली के लिए विधिक ढ़ाँचे का सुदृढ़ीकरण सम्मिलित है। मार्च 2016 में, पी. जे. नायक समिति एवं ज्ञान संगम की अनुशंसाओं के अनुरूप पी एस बी के लिए एक अच्छी प्रबंधकीय नीति को विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा बैंक बोर्ड ब्यूरो स्थापित किया

गया था। व्यापार कार्यनीतियों के विकास एवं पूँजी वृद्धि योजना में पी एस बी की सहायता करना बैंक बोर्ड ब्यूरो के निर्दिष्ट उत्तरदायित्वों में से एक था।